International Journal of Social Science and Education Research

ISSN Print: 2664-9845
ISSN Online: 2664-9853
Impact Factor: RJIF 8.00
IJSSER 2023; 5(1): 45-48
www.socialsciencejournals.net
Received: 07-01-2023
Accepted: 16-02-2023

सरिता
एसोसिएट प्रोफेसर, शिक्षा विभाग, अदिति महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, भारत

Corresponding Author:
सरिता
एसोसिएट प्रोफेसर, शिक्षा विभाग, अदिति महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, भारत

सामाजिक परिवर्तन का शैक्षिक संदर्भः एक अध्ययन

सरिता

DOI: https://doi.org/10.33545/26649845.2023.v5.i1a.88

सारांश
इस शोध लेख में स्वतंत्रता के उपरांत से लेकर अब तक हुए समाज में परिवर्तनों का शैक्षिक संदर्भ में अध्ययन किया गया है। इस विश्लेषणात्मक अध्ययन में भारतीय समाज की प्रकृति, शिक्षा और समाज का संबंध, सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की भूमिका का विभिन्न शिक्षा आयोगों एवं नीतियों के साथ गहनता से अध्ययन किया गया है। इस शोध लेख में सामाजिक परिवर्तन के शैक्षिक संदर्भ के अंतर्गत भारतीय संविधान में दिए समानता से संबंधित अनुच्छेदों का भी अध्ययन किया गया है। इस शोध लेख में समग्रता के साथ सामाजिक परिवर्तन का शैक्षिक संदर्भ में विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया। इस शोध में दस्तावेज विश्लेषण शोध पद्धति का उपयोग किया गया है।

कूटशब्दः समाज, शिक्षा, परिवर्तन

प्रस्तावना
समाज एक व्यवस्था है जिसमें विभिन्न गतिविधियाँ घटित होती हैं और शिक्षा उसकी एक उपव्यवस्था है जो सामाजिक व्यवस्था में बदलाव लाने की क्षमता रखती है। समाज एवं शिक्षक के अंतरसंबंधों में बहुत गहनता है।

समाज और शिक्षा
मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य ने अपने दीर्घकालीन इतिहास में अपने लिए एक संगठन का निर्माण किया। इसमें मनुष्य को कुछ कार्यों को करने की आजादी है और कुछ की मनाही। इस संगठन में मनुष्य के कुछ कर्तव्य हैं एवं कुछ अधिकार भी हैं। मनुष्य द्वारा निर्मित इस संगठन में एक व्यवस्था भी है जिसमें उसके नियमों के आधार पर रहना एवं बर्ताव करना होता है। इस संगठन के अंतर्गत मनुष्यों के आपसी व्यवहार के कुछ संबंध होते हैं और जिस संगठन में यह संबंध होते हैं उसी को समाज कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो समाज मनुष्य के सामाजिक संबंधों का नाम है।
आटवे ने समाज का अर्थ इन शब्दों में व्यक्त किया है कि समाज एक प्रकार का समुदाय या समुदाय का भाग है और इस समाज के सदस्यों को अपने जीवन–यापन के ढंग की समझ होती है। इस समुदाय के लोगों में अपने साझे उद्देश्यों एवं मूल्यों के कारण एकता होती है और ये लोग किसी न किसी संगठित तरीके से एक साथ रहने की कोशिश करते हैं। हर समाज के अपने बच्चों की परवरिश एवं शिक्षित करने के अपने विशेष ढंग एवं तौर–तरीके होते हैं।
संक्षेप में कहा जा सकता है कि समाज व्यक्तियों के प्रकार्यों, व्यवहारों तथा अंतर्सम्बंधों का ही दूसरा नाम है जिसमें शिक्षा की भूमिका इसको आकार देने, इसको निरूपित करने में है। अतः समाज को एक वृहत् व्यवस्था के रूप में एवं शिक्षा को उसके अंतर्गत उपव्यवस्था के रूप में देखा जा सकता है।

शिक्षा समाज निरूपण का साधन
शिक्षा को समाज निरूपण का सबसे शक्तिशाली साधन माना जाता है। कोठारी आयोग ने भी शिक्षा के इस महत्व को स्वीकारते हुए लिखा है कि हमारे देश के भविष्य का निर्माण स्कूल की कक्षाओं में हो रहा है। कोठारी आयोग ने शिक्षा की शक्ति को पहचाना एवं इसे सामाजिक बदलाव का सबसे प्रभावी साधन माना। शिक्षा का जुड़ाव सामाजिक स्थितियों के साथ बहुत गहराई तक है। शिक्षा की भूमिका सामाजिक रूपांतरण में महत्वपूर्ण है। कोठारी आयोग का यह भी मानना था कि देश के विकास, उसके आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में शिक्षा एक उपकरण है।

शासकों को जैसा समाज चाहिए वे उसी के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था करते थे। शिक्षा के माध्यम से इच्छानुसार समाज निर्मित करने की आशा की जा सकती है। आजादी से पहले शिक्षा का इस्तेमाल अंग्रेजों ने अपने हितों में रखकर किया था। अंग्रेजों ने अपनी सभ्यता, विचार, संस्कृति के प्रचार के लिए शिक्षा का इस्तेमाल किया। अंग्रेजों के शासन के दौरान शिक्षा भारतीय समाज के विकास के बजाय अंग्रेजों के हितों की पूर्ति को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। अंग्रेजों के शासनकाल में शिक्षा का आधार बहुत संकीर्ण था। जनसंख्या का एक बड़ा भाग उस समय सामाजिक, आर्थिक सुविधाओं से वंचित था। इस वंचित वर्ग में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति प्रमुख है। इसके अतिरिक्त सुविधाविहीन स्थानों वाले लोग जिसमें ऐसे ग्रामीण क्षेत्र आते थे जहां शैक्षिक सुविधाओं की भारी कमी थी। इन वर्गों एवं क्षेत्रों में स्त्रियों की शिक्षा में भागीदारी बहुत ही कम थी।

अंग्रेजों ने अपनी शासन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए फूट डालो और राज करो की नीति के तहत शासन किया। इस नीति के अंतर्गत अंग्रेजों ने हिंदू–मुस्लिमों में फूट डालने का काम किया साथ ही हिंदुओं के साथ उनकी जाति के आधार पर असमानता का व्यवहार किया। अंग्रेजों ने भारत में अपने शासन को बनाए रखने के लिए शिक्षा का हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जिसमें भारतीयों के साथ असमानता का व्यवहार करना सम्मिलित है।

भारतीय समाज

भारतीय समाज विषमतापूर्ण समाज है जिसमें जाति, धर्म, भाषा, लिंग, क्षेत्र इत्यादि के आधार पर असमानता व्याप्त है एवं विविधता है। भारतीय समाज की विषमता का स्तर आजादी से पहले अधिक भयावह था। उस समय भारतीय समाज में छुआछूत पर आधारित कुरीतियां थी। लड़कियों के लिए शैक्षिक अवसरों की कमी थी। कुछ शिक्षण संस्थानों में धर्म, जाति के आधार पर प्रवेश वर्जित था। सार्वजनिक स्थलों पर भी समाज में निम्न समझी जाने वाली जातियों का प्रवेश भी वर्जित था। इस समय अंग्रेजी ही सरकारी कामकाज की भाषा थी और भारतीय भाषाओं की पूर्णतया उपेक्षा की जाती थी।

समानता पर आधारित संविधान

इस प्रकार इस तरह के विषमतामूलक समाज में असमानता को दूर करना और सभी के लिए समान अवसर देना और समतामूलक समाज बनाना, सरकार का आजादी के उपरांत प्रमुख उत्तरदायित्व था। भारत की शिक्षा को भारतीयों के लिए बनाना सरकार की प्रमुख जिम्मेदारी थी। देश के विकास में भी शिक्षा का महत्त्व समझा गया। इस प्रकार आजादी के उपरांत असमानता को दूर करने के प्रयास किए गए और समतामूलक समाज के निर्माण का उद्देश्य रखा गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय के साथ–साथ प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता प्रत्येक नागरिक को प्राप्त करने के लिए दृढ़संकल्प लिया गया है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय और समानता चार मूल्य हैं जिसमें समानता केंद्र एवं अन्य तीन इसकी शर्ते हैं। अतः स्पष्ट है कि भारतीय संविधान समानता के दर्शन पर आधारित है। भारतीय संविधान में निम्न अनुच्छेद समानता पर आधारित है–

अनुच्छेद 14: विधि के समक्ष क्षमता और विधियों का समान संरक्षण।
अनुच्छेद 15: धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिशेद।
अनुच्छेद 16: लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता।
अनुच्छेद 17: अस्पृश्यता का अंत।
अनुच्छेद 18: उपाधियों का अंत।
अनुच्छेद 21: प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण।
अनुच्छेद 29: अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण।
अनुच्छेद 30: शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार।
अनुच्छेद 39(क): सामान्य और निःशुल्क विधिक सहायता।
अनुच्छेद 39(ख): सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप में हित साधन।
अनुच्छेद 44: नागरिकों के लिए एकसमान सिविल संहिता।
अनुच्छेद 45: निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा।
अनुच्छेद 46: दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि।
अनुच्छेद 330: लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण।
अनुच्छेद 332: राज्यों की विधानसभाओं में स्थानों का आरक्षण।
अनुच्छेद 350(क): भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को षिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाशा में षिक्षा की सुविधाएं सुनिष्चित करना।

संविधान में लिखित इन अनुच्छेदों से यह स्पष्ट है कि हमारे देश का संविधान समानता पर आधारित है एवं इसे बढ़ावा देने का प्रयास भी करता है। संविधान में दिए समानता के बिंदुओं को प्राप्त करने में शिक्षा का उपयोग एक साधन के रूप में किया गया है। आजादी के बाद से शिक्षा नीतियों में विषमतामूलक भारतीय समाज को समतामूलक समाज बनाने के प्रयास स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होते हैं।

कोठारी आयोग

कोठारी आयोग में भी स्वीकार किया गया है कि शिक्षा का एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक उद्देश्य अवसर की समता प्रदान करना है। इससे समाज में पिछड़े एवं दलित वर्ग एवं व्यक्ति शिक्षा के द्वारा समाज में अपनी स्थिति सुधार सकते हैं। इस आयोग का मानना था कि जो समाज सामाजिक न्याय को अपना आदर्श मानता है तथा शिक्षा ग्रहण करने लायक सभी व्यक्तियों को शिक्षा देने का उत्सुक है उसे अपने समाज में सभी वर्गों को अवसर की समता देनी होगी। कमजोर वर्गों का शोषण कम करने, समाप्त करने का यही एक साधन है।

शिक्षा में अवसरों की विषमताएं

कोठारी आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि 'शिक्षा में अवसरों की विषमताएं' कई तरह से उत्पन्न होती हैं। जैसे जिन स्थानों पर पर्याप्त शैक्षणिक संस्थाएं हैं उन बच्चों की तुलना में ऐसे स्थान जहाँ उनकी कमी है वहां के बच्चों को शिक्षा प्राप्ति के पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाते। आयोग के अनुसार इस विषमता को दूर करने के लिए अधिक से अधिक स्थानों पर शिक्षण संस्थाएं खोली जानी चाहिए। शिक्षा में अवसरों की विषमता का एक और कारण लोगों की गरीबी को बताया गया है। निर्धनता के कारण निर्धन बच्चों को घर के समीप शिक्षण संस्थाएं होने के बावजूद शिक्षा के अवसर नहीं मिल पाते जो धनी परिवारों के बच्चों को मिलते हैं। इस विषमता को दूर करने के लिए स्कूल की फीस को धीरे–धीरे समाप्त कर देना चाहिए और पाठ्यपुस्तक, लिखने का सामान, स्कूल की वर्दी और दिन का भोजन स्कूल में मुफ्त देना चाहिए।

कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट के छठे अध्याय में शिक्षा में अवसरों की असमानता की चर्चा की है जिसमें निम्न प्रमुख अवसरों की असमानताएं बताई गई हैं – प्रत्येक स्थान पर शिक्षण संस्थाओं का न होना, निर्धनता, घरेलू वातावरण (शिक्षित वह अशिक्षित अभिभावक), लड़के तथा लड़कियों की शिक्षा में विषमता, पिछड़े वर्गों एवं अन्य वर्गों के बीच शैक्षिक विकास का अंतर।

अवसरों की असमानता को दूर करने हेतु सुझाव

कोठारी आयोग ने शिक्षा में व्याप्त अवसरों की असमानताओं को

उजागर किया और साथ ही साथ इनको दूर करने हेतु कुछ सुझाव भी दिए हैं जिनमें प्रमुख सुझाव इस प्रकार हैं –

पढ़ाई की फीस और दूसरे निजी खर्च सरकार को वहन करना

आयोग का मानना है कि इनका बोझ निर्धन परिवारों के लिए बहुत अधिक है और सरकार को यह बोझ वहन करना चाहिए। इनका बोझ सरकार को आधिकारिक वहन करना चाहिए।

छात्रवृतियाँ

इस संबंध में कोठारी आयोग का सुझाव था कि लड़कियों के लिए विशेष रूप से छात्रवृतियां प्रारंभ की जानी चाहिए।

क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना

कोठारी आयोग ने देश के विभिन्न राज्यों में शिक्षा विकास के असंतुलन को दूर करने की कुछ सिफारिशें की थी – जैसे प्रत्येक राज्य की आय का एक निश्चित समान अंश का व्यय शिक्षा पर ही हो, इसको सुनिश्चित करना। यह भी सिफारिश की गई कि देश के कम विकसित क्षेत्रों को कम से कम कुछ न्यूनतम स्तरों तक उठने में सहायता देनी चाहिए एवं प्रयास किया जाना चाहिए ताकि उन्नत क्षेत्रों और कम विकसित क्षेत्रों के बीच का अंतर घट सके। यह समता लाने की नीति है इसमें प्रत्येक क्षेत्र को सशर्त सहायता दी जानी चाहिए।

स्त्रियों की शिक्षा को प्राथमिकता देना

कोठारी आयोग ने स्त्रियों की शिक्षा के संबंध में निम्न सिफारिश की हैं :– स्त्री शिक्षा के विशेष कार्यक्रमों जिनका सुझाव राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा समिति द्वारा सुझाया गया था, उन पर बल देना तथा सभी क्षेत्रों एवं स्तरों पर शिक्षा के विस्तार एवं सुधार कार्यक्रमों में स्त्री शिक्षा पर अभिन्न रूप से ध्यान देना।

कॉमन स्कूल सिस्टम

कोठारी आयोग ने देश के सभी धनी–निर्धन, सभी जाति–संप्रदायों, धर्मों, क्षेत्रों इत्यादि के बच्चों के लिए एक समान स्कूल व्यवस्था की सिफारिश की थी ताकि सभी को एक समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सके। आयोग का मानना था कि ऐसा करके ही देश में सौहार्द एवं समानता का रिश्ता स्थापित किया जा सकता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986

कोठारी आयोग की भांति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में भी समाज में व्याप्त विषमताओं को दूर करने एवं समानता लाने में शिक्षा की भूमिका को बहुत महत्त्वपूर्ण माना गया। इस नीति के भाग–4 के शीर्षक 'समानता के लिए शिक्षा' में इसकी चर्चा की गई है। इसमें कहा गया है कि नई शिक्षा नीति में विषमताओं को दूर करने पर विशेष जोर रहेगा और अब तक देश में वंचित रहे लोगों की विशेष जरूरतों का ध्यान रखते हुए शिक्षा के समान उपलब्ध कराए जाएंगे।

महिलाओं की समानता हेतु शिक्षा

इस शिक्षा नीति में यह विचार रखा गया की शिक्षा का उपयोग स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन लाने की दिशा में साधन स्वरूप किया जाएगा। इस शिक्षा नीति में स्त्रियों के लिए उन्हें सशक्त एवं समर्थ बनाने की दिशा में इस्तेमाल करने का विचार रखा गया है।

महिला अध्ययन केंद्र

इस नीति में महिलाओं से संबंधित अध्ययन को विभिन्न पाठ्यक्रमों के अंग में सम्मिलित करने का प्रस्ताव है। इस नीति में उच्च शिक्षण संस्थानों में महिला अध्ययन केंद्र को प्रस्तावित किया गया और इसके चार आयाम बताए गए – शिक्षण, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं विस्तार। इस प्रकार स्त्री से संबंधित मुद्दों के प्रति जागरूकता बढ़ाने एवं स्त्री की समानता की दिशा में यह सुझाव था। स्त्रियों की साक्षरता का प्रसार करने की प्राथमिकता इस नीति में सुझाई गई। इस दिशा में आने वाली रूकावटों को दूर करने के लिए काम करने का भी सुझाव दिया गया।

तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा

इस नीति में सिफारिश की गई कि तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के सभी स्तरों पर स्त्रियों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर रहेगा। उनके पाठ्यक्रमों में से लिंग आधारित विभाजन को समाप्त करने की सिफारिश इस नीति में की गई।

अनुसूचित जातियों की शिक्षा

इस नीति में कहा गया कि अनुसूचित जातियों के शैक्षिक विकास पर जोर दिया जाएगा ताकि उनको भी अन्य गैर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के समान लाया जा सके। यह समानता ग्रामीण एवं शहरी सभी पुरुष एवं स्त्रियों में होनी चाहिए, ऐसा सुझाया गया। इसके लिए इस नीति में कुछ उपाय सुझाए गए जैसे अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ करना, इस वर्ग के बच्चों के स्कूल में नामांकन पर नजर रखना, इस वर्ग के शिक्षकों की नियुक्ति पर विशेष ध्यान देना इत्यादि।

अनुसूचित जन की शिक्षा

इस नीति में अनुसूचित जनजाति को दूसरे वर्गों की बराबरी के स्तर पर लाने के लिए निम्न सुझाव दिए गए – आदिवासी क्षेत्रों में प्राथमिक स्कूल खोलने को प्राथमिकता, मातृभाषा में शुरुआती शिक्षा, इस वर्ग के पढ़े–लिखे युवाओं को शिक्षक बनने को प्रोत्साहित करना, छात्रवृतियाँ उच्च शिक्षा में दी जाए इत्यादि।

शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए दूसरे वर्ग एवं क्षेत्र

इस नीति में शिक्षा में पिछड़े सभी वर्गों को जिसमें विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाएगा। पर्याप्त संख्या में स्कूल खोले जाएंगे। पहाड़ी एवं रेगिस्तानी क्षेत्रों एवं दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में भी पर्याप्त संख्या में शिक्षा संस्थाएं खोलने की इस नीति में सिफारिश की गई थी।

विकलांगों की शिक्षा

इस नीति में विकलांगों की शिक्षा के संबंध में कहा गया कि इसका उद्देश्य विकलांगों को समाज में दूसरे व्यक्तियों के समान जीने योग्य बनाना है, इनकी प्रगति सामान्य तरीके से करने का सुझाव भी दिया। मामूली विकलांगता वाले बच्चों की पढ़ाई सामान्य बच्चों के साथ एवं गंभीर रूप से विकलांग बच्चों के शिक्षा संस्थान जिला मुख्यालय में बनाने का सुझाव दिया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत के संवैधानिक मूल्यों को बढ़ाने एवं एक समतामूलक, सशक्तिकृत समाज के निर्माण की दिशा में एक अग्रज कदम है। इस नीति में स्कूल शिक्षा से लेकर उच्चतर शिक्षा तक शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने एवं वंचितों तक इसका लाभ देने का भी प्रयास है। अन्य केंद्रीय मुद्दों के साथ–साथ इसके कार्यान्वयन को भी सुनिश्चित करने का प्रयास इसमें है।

समतामूलक और समावेशी शिक्षा : सभी के लिए अधिगम

इस नीति के भाग–1 'स्कूल–शिक्षा' के अध्याय–6 'समतामूलक और समावेशी शिक्षा : सभी के लिए अधिगम' में सामाजिक, आर्थिक रूप से वंचित समूहों (एसईडीजी) की शिक्षा व्यवस्था में असमानता को न केवल स्वीकारा है अपितु इनके कारणों को दूर करने के कारगर उपाय भी सुझाए हैं। अनुसूचित जातियों,

अनुसूचित जनजातियों, बालिकाओं इत्यादि वंचित वर्गों की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में सिफारिश की गई है।

जेंडर – समावेशी निधि

यह इस नीति में लड़कियों और ट्रांसजेंडर छात्रों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दिशा में सुझाया गया सकारात्मक कदम है। इस निधि का इस्तेमाल लड़कियों एवं ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए स्वच्छता एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था करने हेतु किए जाने का सुझाव दिया गया।

उच्चतर शिक्षा में समता और समावेशन

इस नीति के भाग–2 'उच्चतर शिक्षा' के अध्याय–14 'उच्चतर शिक्षा में समता और समावेशन' में एसईडीजी का उच्चतर शिक्षा प्रणाली से बाहर होने के कारणों के साथ–साथ इनकी समुचित भागीदारी का सुझाव दिया गया है। अगर इनका कार्यान्वयन सुनिश्चित हो तो वंचित वर्गों की भागीदारी भी शिक्षा व्यवस्था में सकारात्मक रूप से बढ़ेगी।

अतः कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वंचितों के लिए समतामूलक समाज के निर्माण एवं समान भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास है।

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि शिक्षा में सामाजिक परिवर्तन की शक्ति है जिसका उपयोग स्वतंत्रता पूर्व एवं उपरांत दोनों ही अवधियों में इस प्रकार्य के लिए हुआ है। स्वतंत्रता पूर्व ब्रिटिश शासकों ने अपने राज को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसका इस्तेमाल किया वहीं आजादी के बाद शिक्षा का इस्तेमाल स्वतंत्रता पूर्व के विषमतामूलक समाज को समतामूलक समाज बनाने के लिए किया गया। स्वतंत्रता के बाद हमारे संविधान में ही समानता को आदर्श माना गया और स्वतंत्रता पूर्व विद्यमान असमानता को समाप्त करने का प्रयास किया गया। इस तरह से स्वतंत्रता के बाद समानता पर केंद्रित सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए संविधान का सहारा लिया गया और संविधान में निहित मूल्यों, आदर्शों को साकार करने के लिए शिक्षा को एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया गया। हालांकि यह विवाद का मुद्दा है कि आजादी के बाद भी हम समतामूलक समाज का निर्माण करने में कितने सफल हुए हैं। परंतु इस तथ्य को भी नकारा नहीं जा सकता कि आजादी के बाद हम संविधान के मूल्यों पर आधारित शिक्षा का इस्तेमाल करते हुए इस दिशा में आगे बढ़े हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. आटवे, ए.के.सी. – शिक्षा और समाज, 1972, उत्तर प्रदेश, हिंदी ग्रंथ अकादमी, लखनऊ
2. कुमार, कृष्ण – राज, समाज और शिक्षा, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, 1990
3. बसु, डी.डी. – भारत का संविधान – एक परिचय, आठवाँ संस्करण, वाधवा एण्ड कम्पनी, दिल्ली, 2002
4. रजा, मुनिस – शिक्षा और विकास के सामाजिक आयाम, ग्रंथ शिल्पी, नई दिल्ली, 1996
5. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 – मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार (शिक्षा विभाग), नई दिल्ली, 1986
6. राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020, मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार, https://www.education.gov.in>PDF
7. सिंह, योगेन्द्र – भारत में सामाजिक परिवर्तन : संकट और समुत्थानपरकता, जवाहर पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, बेर सराय, नई दिल्ली, 1999
8. सद्गोपाल, अनिल, शिक्षा में बदलाव का सवाल, ग्रंथशिल्पी, 2000
9. शिक्षा आयोग की रिपोर्ट, शिक्षा और राष्ट्रीय विकास, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, 1966
10. श्रीनिवास, एम.एन., आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन, राजकमल प्रकाशन, 1998 संस्करण